VLS FINANCE LIMITED

VLS Regd. Office: - Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020
CIN: L65910DL1986PLC023129, E-mail: vls@vlsfinance.com,
Website: www.vlsfinance.com, Ph: 011-4665 6666, Fax: 011-4665 6699

A. Notice to members whose dividend is standing unpaid for seven consecutive years regarding transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) alongwith unpaid dividend:

According to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended from time to time, if a dividend remains unclaimed for a period of seven years from 30 days after date of declaration then such dividend is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF') established by the Central Government.

Further, in terms of Section 124(6) of the Act read with Rule 6 of the aforesaid rules, the Company is also mandatorily required to transfer all such shares to the designated IEPF Demat Account in respect of which none of the dividend(s) declared in period of seven consecutive years has been claimed by the member except in case(s) where exemption from transfer of such shares has been provided in said rules.

Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF:

S. No.	Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Last date of claim for dividend to be filed to the Company
1.	Unclaimed Dividend for the Financial Year 2016-17 (Final Dividend)	October 31, 2024	On or before September 30, 2024
2.	Equity Shares on which dividend(s) remained unclaimed for seven continuous years unless exempted.	October 31, 2024	N.A.

The members who have not claimed dividend for seven continuous years are hereby informed that in terms of the aforementioned rules, their shares whether held in physical or electronic form alongwith the unclaimed dividend for the financial year 2016-17 are liable to be transferred to IEPF. A list of members as on 30/06/2024 who have not claimed their dividends for seven consecutive years and unless claimed, such dividend alongwith underlying shares (other than exempted) are therefore, liable for transfer to the IEPF is available on the website of the Company at https://www.vlsfinance.com/unclaimed-dividends/. The Company has sent individual notices to such members on 30/03/2024 through registered post in terms of applicable regulations.

In view of the foregoing, the concerned stakeholders are therefore, requested to claim their unpaid dividend, if any by writing to the Company or to the Registrar & Share Transfer Agent at the following address so that it should reach on or before the aforesaid date:

Company's address:	Registrar & Share Transfer Agent's address:
VLS FINANCE LIMITED Regd. Office: - Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 E-mail: vls@vlsfinance.com, Website: www.vlsfinance.com Ph: 011-4665 6666, Fax: 011-4665 6699 Dedicated email for redressal of investor grievances: hconsul@vlsfinance.com	**M/s. RCMC Share Registry Pvt. Ltd.** B-25/1 First Floor, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi-110 020 Email: investor.services@rcmcdelhi.com, Website: www.rcmcdelhi.com Phone Nos. 011 – 26387320-21, 35020465-66

In case the relevant dividend is not claimed within the time specified, the Company with a view to comply with the requirements of the said rules, shall be constrained to transfer the shares standing in member's name to IEPF as per procedure stipulated in the Rules, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules.

The stakeholders who have sold their holding in the Company and are no longer member are also requested to check the list of unpaid dividend referred to above and claim their unpaid dividend, if any.

B. Appeal to members for updating PAN and other details ('KYC' details) in records of the Company.

SEBI vide its mail to all Registrar and Share Transfer Agents ('RTA's) on 23.01.2024, has directed that after 1st April, 2024, dividend to the shareholders, holding shares in physical form, who have not updated all of the information viz. PAN, Choice of Nomination, Contact Details, phone/mobile number, email address, postal address, bank account details and specimen signature in the records of the Company, will be paid through electronic mode only after updation of above details in the records of the Company.

Thus, after 1st April, 2024, the Company shall not be able to remit your dividend, if any, on your shares, unless all of the above details are registered in the records of the Company. Hence, we request you to provide/update all your KYC details mentioned above in prescribed forms i.e. ISR-1, ISR-2, SH-13 or ISR-3 to the RTA viz. RCMC Share Registry Private Limited or to the Company at the address mentioned above. Format of KYC Forms are available at website of the Company at https://www.vlsfinance.com/kyc/.

The members holding shares in electronic mode are requested to contact their depository participant for updating KYC details, if not updated to avoid withholding of dividend for similar reason.

For VLS Finance Ltd.
Sd/-
H. Consul
Company Secretary
M. No. – A11183

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ताबा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(3)

जबकि मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद 'एमबीएचएफ' के रूप में संदर्भित) एमबीएचएफ, जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 की एक अधिसूचना के माध्यम से विधिवत अधिकृत किया गया है, जिसे 'वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002'' के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाएगा, इसका पंजीकृत कार्यालय है: - दूसरी मंजिल, एन -2, साउथ एक्सटेंशन पार्ट -1, नई दिल्ली - 110049 के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने को कहते हुए एक मांग सूचना जारी की थी। कर्जदार/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहा है, अतः कर्जदार और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित तिथि को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन शुल्क और उस पर ब्याज के अन्य शुल्कों के लिए 'एमबीएचएफ' के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

1. हरीश चंद्र यादव पुत्र रामजी यादव आदर्श जनरल स्टोर के मालिक, मकान नंबर सी-65, नेहरू गार्डन, खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201309, साथ ही:- प्लॉट नंबर 18/3, खसरा नंबर 309/5, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, नेहरू गार्डन, एनआर पोस्ट ऑफिस, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201309, साथ ही:- डी/8, नेहरा गार्डन, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201309, 2. प्रियंका देवी पत्नी हरीश चंद्र यादव एच. नंबर सी-65, नेहरू गार्डन, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201309, साथ ही: डी/8, नेहरू गार्डन, खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201309

मांग सूचना दिनांक : 13-02-2023, **कब्जे की तिथि** : 17.08.2024
मांग सूचना की राशि : 31.01.2023 तक रु. 20,44,294.03/-(रुपये बीस लाख चौवालीस हजार दो सौ चौरानवे एवं तीन पैसे मात्र)

संपत्ति का विवरण: एक मंजिला आवासीय मकान संख्या 57ए, खसरा संख्या 1900, 57 वर्ग गज यानि 47.65 वर्ग मीटर का समस्त भाग, श्री राम वाटिका, गांव डेरी मच्छ मानिकपुर, परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 203207 में स्थित है।

स्थान - उ.प्र., दिनांक - 17.08.2024
प्राधिकृत अधिकारी, मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लिमिटेड

रिकवरी अधिकारी-II
ऋणवसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना

ऋणों की वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना

टीआरसी नं. 382/2022 **तिथि: 7.8.2024**

मामले में,

इलाहाबाद बैंक बनाम मै. श्री दुर्गा ऑप्टिकल्स

सीडी # 1. मै. श्री दुर्गा ऑप्टिकल्स, द्वारा उसके प्रोप्राइटर श्रीमती अनु गोयल, प्लॉट नं. 19, प्रथम तल, मनीश पोयल प्लाजा, सेन्ट्रल मार्केट, सेक्टर-10, द्वारका नई दिल्ली

सीडी # 2. श्रीमती अनु गोयल, फ्लैट नं. बी-3/303, सन्नी वैली अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 27, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली-110075

सीडी # 3. श्री कुलदीप अगरवाल, फ्लैट नं. बी-3/303, सन्नी वैली अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 27, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अधिसूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली द्वारा ओए नं. 731/2016 में तैयार की गई इंडिड वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 13,33,169.18/- (रुपये तेरह लाख तैंतीस हजार एक सौ उनहत्तर एवं पैसे अठारह मात्र) की राशि आप पर बकाया हो गया है। यह आवेदक रु. 13,33,169.18 (रुपये तेरह लाख तैंतीस हजार एक सौ उनहत्तर एवं पैसे अठारह मात्र) के साथ रु. 16,000/- (रु. सोलह हजार मात्र) की लागत, ओए के दाखिल करने की तिथि से सीडी से उसकी सम्पूर्ण वसूली तक 11.70% की दर से विलम्बित तथा आगे के ब्याज की वसूली के लिये अधिकृत है। सीडी'ज को निर्देश दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा उसकी वसूली सीडी'ज की हाइपोथेकेटेड के साथ ही साथ व्यक्तिगत चल तथा अचल सम्पत्तियों की बिक्री से की जायेगी।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा ऋणों की वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार उसकी वसूली की जायेगी।

एतद्द्वारा आपको अग्रिम कार्रवाई के लिये 23.10.2024 को 12 बजे अप. में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

उक्त राशि के अतिरिक्त आप निम्न भुगतान के लिये भी उत्तरदायी हैं:
1. प्रमाणपत्र/निष्पादित कार्रवाई की इस सूचना के तत्काल शुरू होने वाली अवधि के लिये देय ब्याज
2. इस सूचना तथा वारंट्स की सर्विस तथा बकाया राशि की वसूली के लिये शुरू की गई अन्य प्रक्रिया तथा ऐसी अन्य कार्रवाई के संदर्भ में वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चों।

(दत्तात्रेय बाजपयी)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली,
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ओ.ए.नं. 45/2024

एचडीएफसी बैंक बनाम जय हनुमान रेडिमेड एजेन्सी

सेवा में,
1) जय हनुमान रेडिमेड एजेन्सी, भूतल, IX/2492, गली नं. 18 ए, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031
2) राकेश कुमार जैन, प्रॉपाइटर तथा गारंटर, पुत्र श्री चन्दर, ए-37, सूरजमल विहार, नई दिल्ली-110092

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 53,68,929.42 (रु. तिड़ेपन लाख अड़सठ हजार ना सौ उन्तीस एवं पैसे बयालिस मात्र) की वसूली के लिये अपाके विरूध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 19.12.2024 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। (अधिक विवरणों के लिये कृपया डीआरटी के वेबसाईट www.etribunal.gov.in तथा फोन नम्बरः 011-23748476 से सम्पर्क करें। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

वर्तमान में जारी महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों पर विचार विडियो कार्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस उद्देश्य से:
i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें:
ii) सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् रजिस्ट्रार/रिकवरी अधिकारी -I/ तथा रिकवरी अधिकारी-II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्ग आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी।
iii) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748473 पर संबधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 12 अगस्त, 2024 को दी गई।
अग्रिम जानकारी के लिए प्रतिवादी नीचे वर्णित फोन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं:
विद्वान रजिस्ट्रार
डीआरटी-1,
फोन नं.: 011-23748473

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट –4–क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय :–9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली–110001 फोनः–011–23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट : www.pnbhousing.com**
दिल्ली शाखाः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8वीं मंजिल, डीसीएम बिल्डिंग 16, बाराखंभा रोड, सीपी नई दिल्ली – 110001. **जनकपुरी शाखाः** सी–2/21, प्रथम तल, माता चानन देवी रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058.

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर–डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर–सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। एतद्द्वारा कालम नंबर –ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/DEL/0119/642261,बी.ओ. : दिल्ली, परिवेश कुमार /पुष्पा भारद्वाज	18.4.2022 तक रु. 2956407.14/–	भौतिक कब्ज़ा	फ्लैट नंबर 1002, 10वीं मंजिल, टॉवर एफ, ऑक्सी होमज़, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201010 क्षेत्रफल 1132 वर्ग फीट	रु. 3107340	रु. 310800	09.09.2024	रु. 10000	02.09.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30	10.09.2024 पूर्वा.12.00 बजे से अप. 2.00	Not Known
HOU/JAN/0518/524812, बी. ओ.: जनकपुरी, जीतेन्द्र सिंह/मीना मीना	16.01.2024 तक रु. 9,57,449.49/–	भौतिक कब्ज़ा	फ्लैट नंबर 13, तीसरी मंजिल, पॉकेट 5, ब्लॉक बी1, सेक्टर 35, रोहिणी, नई दिल्ली, भारत, 110085	रु. 1387000	रु. 138700	09.09.2024	रु. 10000	02.09.2024 पूर्वा.10.00 बजे से अप. 5.30	10.09.2024 पूर्वा.12.00 बजे से अप. 2.00	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकरी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर–के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर–के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. **सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003 वेबसाइट – **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी
पवन कुमार, सतीश संपर्क नंबर 1800 120 8800, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

स्थानः दिल्ली एनसीआर, दिनांकः 22-08-2024
प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

SBFC

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सीएण्डबी स्क्वेयर, संगम कॉम्पलेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059,
शाखा पता : प्रथम तल, आनन्द प्लाजा, छोटूराम चौक, सिविल रोड, रोहतक-124001

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (**'सरफेसी अधिनियम'**) के तहत नीचे दिए गए कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए **''जहां है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है''** आधार पर प्रतिभूत लेनदार के कब्जे में नीचे वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद लिफाफों में प्रस्ताव/बोली आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः-

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का पता	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण/कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य (आरपी)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	कुल बकाया ऋण (08 मार्च, 2024 तक)
1. **हरि सिंह भट्ठा कंपनी** वीपीओ चमरिया रोहतक, हरियाणा - 124001 2. **सत्यवान सत्यवान** 3. **उषा** वीपीओ मदीना गिंदरम, 99, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा- 124001	18 नवंबर, 2022 रु. 33,13,676/- (रुपये तैंतीस लाख तेरह हजार छः सौ छिहत्तर मात्र)	संपत्ति प्लॉट नंबर 741 पर मकान सम्पत्ति का समस्त भाग, खतौनी नंबर 778, किते 19 रकबा 103 कनाल 16 मरला 1/196 शेयर 10.5 मरला माप 320 वर्ग गज, मौजा मदीना गिंदरान, तहसील, महम, जिला रोहतक में स्थित है।	रु. 29,83,320/- (रुपये उनतीस लाख तिरासी हजार तीन सौ बीस मात्र)	रु. 2,98,332/- (रुपये दो लाख अट्ठानबे हजार तीन सौ बत्तीस मात्र)	रु. 44,13,618/- (रुपये चौवालीस लाख तेरह हजार छः सौ अठारह मात्र)

1. **ईएमडी और केवाईसी (स्व-सत्यापित) के साथ निर्धारित निविदा/बोली** प्रपत्रों में मुहरबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 27.09.2024 **को पूर्वाह्न** 11:00 **बजे** या उससे पहले यहां ऊपर उल्लिखित प्रधान/शाखा कार्यालय के पते पर है। जो निविदाएं/बोली भरी नहीं गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अमान्य मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकार कर दी जाएंगी।
2. ईएमडी राशि का भुगतान **''एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड''** के पक्ष में रोहतक में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से किया जाना चाहिए जो असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापसी योग्य है।
3. **संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 04.09.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच है।**
4. **संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि** 27.09.2024 उपरोक्त शाखा कार्यालय के पते पर दोपहर 12:30 बजे है। निविदा/बोली सभी बोलीदाताओं के साथ प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएगी।
5. संपत्ति उच्चतम बोली राशि बाले बोलीदाता को बेची जाएगी। परस्पर बोली प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर होगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/आस्थगित करने का पूर्ण अधिकार और शक्ति है। संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
6. ऋण अनुबंध के अनुसार, नोटिस में बकाया राशि और आकस्मिक व्यय, लागत आदि पर प्रयोज्य, जैसा लागू हो, ब्याज वसूल किया जाएगा और यह वसूली तक देय होगा।
7. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों को निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल किया गया है। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त प्रधान/शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं।
8. कोई भी शुल्क, प्रभार, कर, जिसमें हस्तांतरण/कन्वीएंस प्रभार, अप्रदत्त बिजली शुल्क, नगर निगम/स्थानीय कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, केवल क्रेता को ही वहन करना होगा।
9. प्रतिभूत संपत्ति पर सभी देय/बकाया/अप्रदत्त कर जिसमें बिक्री कर, संपत्ति कर, आदि या कोई अन्य देय, वैधानिक या अन्यथा शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं, क्रेता द्वारा अलग से वहन किया जाएगा।
10. प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात ऋणभारः शून्य
11. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) तुरंत जमा करना होगा और शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर देय होनी चाहिए। बिक्री मूल्य, जैसा कि बताया गया है, का भुगतान करने में विफल रहने पर ईएमडी सहित सभी जमा राशि को बिना किसी सूचना के जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, असाधारण स्थितियों में शेष 75% भुगतान करने के लिए उचित समय का विस्तार अधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेक पर होगा।
12. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए हैं। किसी भी त्रुटि, गलतबयानी या चूक आदि के लिए अधिकृत प्राधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा।
13. बोली हस्तांतरणीय नहीं है।
14. बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट **''मैसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड''** के पक्ष में केवल रोहतक में देय ही बनवाना होगा।
15. सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत कर्जदार/सह-कर्जदार को नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए एतद्वारा 30 दिनों का वैधानिक बिक्री नोटिस दिया जाता है जिसमें विफल होने पर अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी। यदि कर्जदार **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) को बिक्री की तारीख से पहले पूरी राशि का भुगतान कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।
16. एतद्वारा कर्जदार, सह-कर्जदार को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और वे ऊपर वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए इच्छुक खरीदारों/क्रेताओं को बिक्री की शर्तों एवं नियमों के विवरण के अनुसार ला सकते हैं।

स्थानः रोहतक
दिनांकः 22 अगस्त, 2024

ह./- **अधिकृत प्राधिकारी**
मैसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

ऋण वसूली न्यायाधिकरण जयपुर

फॉर्म संख्या 3
[विनियमन–15 (1) (ए) देखें] / 16(3)

प्रथम तल, सुधर्मा–II, लाल कोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर–302015
केस संख्याः ओए/1012/2023
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत सम्मन

एक्स संख्याः 11857

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
बनाम
एमएस कौशल एक्सपोर्ट्स

सेवा में,
(1) एमएस कौशल एक्सपोर्ट्स
मालिक श्री नवीन अग्रवाल के माध्यम से, 137–138 राधा दामोदर जी की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर, राजस्थान – 302001 इसके अलावाः भूतल पर पंजीकृत कार्यालय, नगर पालिका नंबर वाले मकान में दुकान 1265, खो वालों का चौक, गोपाल जी का रास्ता, चौकड़ी विश्वेश्वरजी, जयपुर, राजस्थान – 302002
(2) मेसर्स नवीन अग्रवाल पुत्र श्री राजेंद्र अग्रवाल 137–138। राधा दामोदर जी की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर, राजस्थान – 302001
(3) श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल पत्नी श्री नवीन अग्रवाल 137–138। राधा दामोदर जी की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर, राजस्थान – 302001

सम्मन

चूँकि, ओए/1012/2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 26/04/2024 को सूचीबद्ध किया गया था।

चूंकि यह माननीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19(4) के तहत आपके खिलाफ दायर किए गए आवेदन (ओए) पर 4424755/– रुपये के ऋण की वसूली के लिए सम्मनध्नोटिस जारी करने में प्रसन्न है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः –

(i) समन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताना कि क्यों नहीं मांगी गई राहत प्रदान की जानी चाहिए,
(ii) आवेदक द्वारा मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करना,
(iii) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान लंबित रहने तक मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत प्रकट की गई सुरक्षित संपत्तियों या ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों के साथ व्यवहार करने या उनका निपटान करने से रोका जाता है,
(iv) आप ट्रिब्यूनल की पूर्व स्वीकृति के बिना मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अंतर्गत निर्दिष्ट या प्रकट की गई किसी भी संपत्ति, जिस पर सुरक्षा हित बनाया गया है औरध्या अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर, हस्तांतरित नहीं करेंगे,
(v) आप सुरक्षित संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय का हिसाब रखने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्री आय को ऐसी संपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ बनाए गए खाते में जमा करेंगे।

आपको लिखित बयान दाखिल करने तथा उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराने तथा दिनांक 05/09/2024 को प्रातः 10:30 बजे पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी तथा निर्णय दिया जाएगा।

इस दिनांक 30/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायाधिकरण की मुहर से दिया गया।

सहायक रजिस्ट्रार
ऋण वसूली न्यायाधिकरण
जयपुर

जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

JTL INDUSTRIES LIMITED STEEL PIPES

(पूर्व में जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सीएएन नं: L27106CH1991PLC011536
रजि. कार्यालयः एस.सी.ओ.18–19, सेक्टर 28–सी, चंडीगढ़
फोनः +91 172 4668000, ईमेलः secretarial@jtl.one, वेबसाइटः www.jtl.one

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य–श्रव्य संसाधनों (ओएवीएम) के माध्यम से शनिवार, 14 सितम्बर, 2024 को सुबह 11.30 बजे, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए परिपत्र")सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल,2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020;02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021;03/2022 दिनांक 05 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और एमसीए द्वारा जारी कोई भी संशोधन/परिवर्तन और और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र क्रमांक. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/ 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र क्रमांक. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी 2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और परिपत्र क्रमांक. सेबी/एचओ/सीएफडी/पी–ओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 (इसके बाद "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और प्रतिभूतियों के प्रावधानों के अनुपालन में और भारतीय विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के मद्देनजर, उक्त एजीएम आयोजित करने के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसाय को करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश 33वीं एजीएम आयोजित करने के दिनांक 14 अगस्त, 2024 के नोटिस में उल्लिखित हैं।

प्रासंगिक एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां और 33वीं एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही हैं जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए/ कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों के अनुरूप, एजीएम नोटिस की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जा रही हैं और वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम नोटिस केवल ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इसे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड के पास पंजीकृत कराएं। डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के मामले में, शेयरधारक कृपया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") से संपर्क कर सकते हैं और डीपी द्वारा अपनाई गई और सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार डीमैट खाते में ईमेल पता और बैंक खाते का विवरण दर्ज कर सकते हैं।

33वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.jtl.one स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई www.bseindia.com, और एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया www.msei.in पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कार्यवाही के संबंध में अपने सदस्यों को सीडीएसएल के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग अवधि बुधवार, 11 सितम्बर, 2024 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से शुरू होकर से शुरू होती है और शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2024 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो कट–ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि) यानी शनिवार, 07 सितम्बर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं,वे रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जो सदस्य पहले ही रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों के मतदान अधिकार (एजीएम से पहले/एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए) कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के निर्देश और रिमोट ई–वोटिंग में भाग लेने या ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट डालने के तरीके को एजीएम आयोजित करने वाले नोटिस में प्रदान किया गया है। वीसी/सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

यदि सदस्यों के पास सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या पूछताछ हैं, तो वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013 से संपर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 21 09911 पर संपर्क करें।

इसके अलावा, सदस्य कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड,पताः बीटल हाउस, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली, टेलीफोनः (91)–11–29961281–83, फैक्सः (91)–11–29961284, ईमेलः beetal@rediffmail.com से भी संपर्क कर सकते हैं या कंपनी को secretarial@jtl.one पर ईमेल करें या 0172–4668000 पर संपर्क करें।

निदेशक मंडल ने 10 मई 2024 को आयोजित अपनी बैठक में रु.0.25/– (अर्थात् 12.5:) प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी। जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है, कि अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि 30 अगस्त, 2024 है। अंतिम लाभांश, यदि आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आगामी एजीएम में इसकी घोषणा के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपोजिटरी (जहां शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं) और आरटीए (जहां शेयर भौतिक रूप में रखे जाते हैं) के साथ अपने केवाईसी को अपडेट करें ताकि भुगतान तिथि पर सीधे उनके बैंक खाते में लाभांश प्राप्त हो सके।

सदस्य ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार,01 अप्रैल, 2020 से लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता है।

घोषित लाभांश पर कर कटौती के संबंध में आवश्यक जानकारी सदस्यों के संदर्भ के लिए नोटिस में दी गई है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में जेटीएल इंफ्रा लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
हस्ता /–
अमरेंद्र कुमार यादव
कंपनी सचिव
एम .नं.:ए41946

स्थानः चंडीगढ़
दिनांकः 21.08.2024

कैन फिन होम्स लिमिटेड

CanFinHomes Ltd

एनसीआर पीतमपुरा शाखा डीपी–11, प्रथम तल, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, फोनः 011–41761717 मोबाईलः 7625079150,
ईमेलः pitampura@canfinhomes.com, CIN:L85110KA1987PLC008699

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना, परिशिष्ट IV-A (नियम 9(1) के परंतुक देखें)
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, नई दिल्ली, पीतमपुरा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, की तरफ से दिनांक 10.09.2024 को **"जैसी है जहाँ है, जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है"** आधार पर संबंधित तारीखों के अनुसार संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटरों से कैन फिन होम्स लिमिटेड के ब्याज और अन्य शुल्क जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, वसुलने के लिए बेचा जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार एवं गारंटर का नाम	विलेख देयता के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	कब्जे का प्रकार	सम्पत्ति का विवरण
1	श्रीमती अंशु रानी (उधारकर्ता), श्री संग्राम सिंह (सह-उधारकर्ता) और श्री पंकज कुमार (गारंटर)	रु. 54,30,574/- (रु. चौवन लाख तीस हजार पाँच सौ चौहत्तर मात्र)	रु. **48,00,000/-** (रु. अड़तालीस लाख)	रु. **4,80,000/-** (रु. चार लाख अस्सी हजार)	भौतिक	**फ्लैट नं. 65-बी, पॉकेट ए-3, भूतल, मयूर विहार, फेज- III, दिल्ली-110096 में स्थित,** चौहद्दीः उत्तर में - प्लॉट नं. एनडब्ल्यू - सर्विस लेन, पूरब में - प्लॉट नं. एनई-सर्विस लेन, दक्षिण - प्लॉट नं. एस-66-।, 66-बी, पश्चिम में - प्लॉट नंबर एसडब्ल्यू -65-ए ज्ञात भार- शून्य
2	श्रीमती पुष्पा (उधारकर्ता), श्री मोहन गिरी (सह-उधारकर्ता) और श्री सुनीत कुमार (गारंटर)	रु. 28,15,387/- (रु. अट्ठाईस लाख पंद्रह हजार तीन सौ सत्तासी मात्र)	रु. **16,00,000/-** (रु. सोलह लाख)	रु. **1,60,000/-** (रु. एक लाख साठ हजार)	भौतिक	**फ्लैट नं. जीएफ-2, भूतल, प्लॉट नं. ए-109, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली,** चौहद्दीः उत्तर में - प्लॉट नं. जीएफ-1, पूरब में - प्लॉट नं. रोड, दक्षिण में - प्लॉट नं. ए-110, पश्चिम में - प्लॉट नं. रोड का हिस्सा ज्ञात भार- शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कैन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (www.canfinhomes.com) में उपलब्ध कराया गया है। कृपया निम्नलिखित लिंक देखें https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx

दिनांकः 21.08.2024
स्थानः पीतमपुरा

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
कैन फिन होम्स लिमिटेड

कैन फिन होम्स लिमिटेड

CanFinHomes Ltd

एनसीआर पीतमपुरा शाखा डीपी–11, प्रथम तल, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, फोनः 011–41761717 मोबाईलः 7625079150,
ईमेलः pitampura@canfinhomes.com, CIN:L85110KA1987PLC008699

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना, परिशिष्ट IV-A (नियम 8(6) के परंतुक देखें)
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, नई दिल्ली, पीतमपुरा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, की तरफ से दिनांक 25.09.2024 को **"जैसी है जहाँ है, जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है"** आधार पर संबंधित तारीखों के अनुसार संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटरों से कैन फिन होम्स लिमिटेड के ब्याज और अन्य शुल्क जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, वसुलने के लिए बेचा जाएगा।

क्र. सं.	कर्जदार एवं गारंटर का नाम	विलेख देयता के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	कब्जे का प्रकार	सम्पत्ति का विवरण
1	श्रीमती सुमन (उधारकर्ता) और श्री दीपक कुमार (सह-उधारकर्ता)	रु. **19,25,368/-** (रु. उन्नीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ अड़सठ)	रु. **10,00,000/-** (रु. दस लाख)	रु. **1,00,000/-** (रु. एक लाख)	भौतिक	**फ्लैट नं. 004, ऊपरी भूतल, आरएचएस बैक साइड, प्लॉट नं. 1/211, सेक्टर -1, आवासीय कॉलोनी, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,** चौहद्दीः उत्तर में - साइट प्लान/ओपन प्लॉट नं. 310 के अनुसार, पूरब में - साइट प्लान/सीढ़ियां/अन्य फ्लैट के अनुसार, दक्षिण में - साइट प्लान/प्रवेश/फ्लैट नं. 003 के अनुसार, पश्चिम में - साइट प्लान/अन्य संपत्ति के अनुसार, ज्ञात भार- शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कैन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (www.canfinhomes.com) में उपलब्ध कराया गया है। कृपया निम्नलिखित लिंक देखें https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx

दिनांकः 21.08.2024
स्थानः पीतमपुरा

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
कैन फिन होम्स लिमिटेड

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः L45101DL1996PLC315772
पंजीकृत कार्यालयः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली - 110091
कॉर्पोरेट कार्यालयः टोल प्लाजा, डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा - 201301
ईमेलः ntbcl@ntbcl.com, वेबसाइटः www.ntbcl.com, टेलीफोनः 0120-2516495

28वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है किः

1. नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 28वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित होने वाली है, जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय को कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और समय–समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 (एमसीए परिपत्र) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत जारी विभिन्न परिपत्रों और मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/2023/120 जुलाई 11, 2023 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ /सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 को सेबी द्वारा जारी ("सेबी परिपत्र"), एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना के अनुपालन में किया जाएगा।
2. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2024 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना ("वार्षिक रिपोर्ट") उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।
3. शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 को कट–ऑफ तारीख तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से 28वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

(I) एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से निपटाए जाएंगे,
(ii) रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 14 सितंबर, 2024 (सुबह 9 बजे आईएसटी) से शुरू होगी,
(iii) रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, 16 सितंबर, 2024 (शाम 5 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी।
(iv) एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 है।
(v) कोई भी व्यक्ति, जो ईमेल द्वारा एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह **evoting@nsdl.com** या **ntbcl@ntbcl.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता हैय
(vi) सदस्य ध्यान दें कि (ए) रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगीय (बी) जिन सदस्यों ने मतदान की तिथि से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगेय (सी) एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगेय (डी) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा कट ऑफ तारीख तक बनाए गए लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वीसीध्ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 28 वीं एजीएम में भाग लेने और 28 वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग, रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगाय (अपप) 28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.ntbcl.com**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटें अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः **www.bseindia-com,www.nseindia.com** और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है,
(viii) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 022–48867000 और 022–24997000 पर कॉल कर सकते हैं या श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल पतेः **evotingansdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ईमेल पते **ntbcl@ntbcl.com** पर भी लिख सकते हैं।
(i•) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले वे सदस्य, जिनका ईमेल पता कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है, वे हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति भेजकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करा सकते हैं, जिसमें फोलियो संख्या, पूरा पता, पंजीकृत किए जाने वाले ईमेल पते के साथ–साथ पैन की स्कैन की गई स्व–सत्यापित प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते का समर्थन करने वाले किसी भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आधार) का उल्लेख हो। **Kfin Technologies Limited ("KTL")**, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर–बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत –500032 दूरभाष संख्याः +91 40 6716 2222, ईमेलः **inward.ris@kfintech.com.**, या कंपनी के ईमेल पते **ntbcl@ntbcl.com** पर ईमेल द्वारा।

4. कंपनी की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 11 सितंबर, 2024 से मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।
5. कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की देखरेख/संचालन के लिए मेसर्स कुमार वाधवा एंड कंपनी को जांचकर्ता नियुक्त किया है।
6. एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट, एनएसडीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

बोर्ड के आदेश से
नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
गगन सिंघल
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21.08.2024